



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 19.02.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा जस्ट डायल एप के माध्यम से फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर साइबर ठगी करने वाले 04 नफर अभियुक्तगण किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस व एसओजी टीम/ सर्विलांस सेल फतेहगढ़ द्वारा फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से जस्ट डायल एप की साहयता से ट्रांसपोर्ट हेतु फर्जी खार्तों में धन ट्रांसफर करवाने वाले गैंग के 04 अभियुक्तगण को दिनांक 19.02.2024 को मसेनी चौराहे के पास थाना क्षेत्र कादरीगेट से गिरफ्तार किया गया।



घटना का विवरण:- दिनांक 19.02.2024 थाना कादरीगेट पुलिस व एसओजी टीम/ सर्विलांस सेल फतेहगढ़ द्वारा फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से जस्ट डायल एप की साहयता से ट्रान्सपोर्ट हेतु फर्जी खातों में धन ट्रान्सफर करवाने वाले गैंग के 04 नफर अभियुक्तगण 01. वरूण 02. संजय मिश्रा 03. संदीप कुमार मिश्रा 04. रजत को दिनांक 19.02.2024 को 09 मोबाइल फोन, 09 ATM कार्ड, 02 PAN कार्ड व 01 ड्राइविंग लाइसेन्स कार्ड, 02 सिम कार्ड, तथा 344 वर्क स्क्रीन शॉर्ट मय नमूना मोहर तथा एक अदद ग्रे कलर की गाड़ी HONDA CITY रजिस्ट्रेशन नं0 DL 3C BE 3413 के साथ गिरफ्तार कर संलिप्त अभि0गण के विरूद्ध मु0अ0सं0 33/24 धारा 420/406/467/468/471/ IPC व 66C , 66D IT Act बनाम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछने पर एक साथ बताया कि हम चारों लोग मिलकर मोबाइल पर जस्ट डायल एप पर ट्रान्सपोर्ट के लिए डील करते है तथा उनको कम्प्यूटर के माध्यम से फर्जी कूटरचित दस्तावेज को एप व व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाकर फर्जी खुलवाये गये उन्हीं खातो में पैसे डलवाते है जिनके एटीएम कार्ड हमलोग रखते है एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल कर आपस में बांट लेते है, फर्जी खातो के एटीएम कार्ड हमलोगो के पास है जब किसी का काम नही होता है और वह बार-बार पैसे मांगता है तो हम लोग कम्प्यूटर से आरटीजीएस की फर्जी कूटरचित रसीद बनाकर उसको व्हाट्सएप कर देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01. वरूण उर्फ सुबोध मिश्रा पुत्र वेद प्रकाश मिश्रा नि0 मोहल्ला बालाजीपुरम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ उम्र 22 वर्ष
02. संजय मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र बालकृष्ण मिश्रा नि0 अम्बेडकर नगर नरकसा थानाकादरी गेट जनपद फतेहगढ़ उम्र 18 वर्ष
03. संदीप मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र सत्य प्रकाश नि0 अम्बेडकर नगर नरकसा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ उम्र 19 वर्ष
04. रजत पुत्र हरिओम यादव निवासी मोहल्ला मेमरान रेलवे स्टेशन फरूखाबाद कोतवाली फरूखाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1.09 मोबाइल फोन | 2. 09 ATM कार्ड | 3.02 PAN कार्ड |
| 4.01 ड्राइविंग लाइसेन्स कार्ड | 5. 02 सिम कार्ड | 6. 134 वर्क स्क्रीन शॉर्ट मय नमूना मोहर |
| 7. 01 ग्रे कलर की गाड़ी HONDA CITY रजिस्ट्रेशन नं0 DL 3C BE 341 | | |

अभि0 वरूण उर्फ सुबोध मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 33/24 धारा 420/406/467/468/471/ IPC व 66C , 66D IT Act थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

अभि0 संजय मिश्रा उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास :-

- 1.मु0अ0सं0 33/24 धारा 420/406/467/468/471/ IPC व 66C , 66D IT Act थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

अभि0 संदीप कुमार मिश्रा उर्फ पिन्टू का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 33/24 धारा 420/406/467/468/471/ IPC व 66C , 66D IT Act थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ

अभि0 रजत का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 294/2019 धारा 323/504/506 IPC थाना कोतवाली फरूखाबाद जनपद फतेहगढ

2. मु0अ0सं0 33/24 धारा 420/406/467/468/471/ IPC व 66C , 66D IT Act थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस :-

1. प्र0नि0 विनोद कुमार शुक्ल थाना कादरीगेट

2. व0उ0नि0 जगदीश वर्मा थाना कादरीगेट

3. उ0नि0 सुखलाल थाना कादरीगेट

4. का0 वीरेन्द्र सिंह थाना कादरीगेट

5. का0 नेतराम सिंह थाना कादरीगेट

6. का0 गगन लवानियाँ थाना कादरीगेट

1. श्री अमित गंगवार प्रभारी एसओजी फतेहगढ

2. उ0नि0 विशेष कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल फतेहगढ

3. हे0का0 करण यादव सर्विलांस सेल फतेहगढ

4. हे0का0 संदीप राव सर्विलांस सेल फतेहगढ

5. हे0का0 अनुराग कुमार सर्विलांस सेल फतेहगढ

6. का0 दिब्यांशु एसओजी फतेहगढ

7. का0 विकासचन्द्र एसओजी फतेहगढ

8. का0 प्रिंस युवराज एसओजी फतेहगढ

मीडिया सेल फतेहगढ ।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दिनांक-19.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त लटूरी सिंह पुत्र हरप्रसाद ठाकुर नि० पहाड़पुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं०-075/1997 वाद सं- 3941/2017 धारा- 3/25 A ACT थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.02.2024 को मा० न्यायालय जे०एम० सदर कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पी०ओ० श्री नजमुददीन कादरी



कोर्ट मोहरीर म०हे०का० वेवी



पैरोकार हे०का० धर्मन्द्र सिंह



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि०-19.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त चुन्नू उर्फ चुन्नूलाल नाई पुत्र नन्हेलाल निवासी रकाबगंज खुर्द मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध मु०अ०सं०- 270/1986 वाद सं-871/2020 धारा- 380/411/457 भादवि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.02.2024 को मा०न्यायालय सी०जे०एम० कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पी०ओ० श्री चन्द्रेश कुमार



कोर्ट मोहरिर हे०का० कुन्दन



पैरोकार का० प्रवीन कुमार



